

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(6)राज/वाद/2021

जयपुर, दिनांक 11/5/2021

:: आदेश ::

श्री खादिम हुसैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 142/2021 अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120बी., भा०दं०सं० में पंजीबद्ध होकर प्रकरण अन्वेषणाधीन होने के कारण श्री खादिम हुसैन, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चिड़ावा जिला झुंझुनू की सेवायें उनकी गिरफ्तारी की दिनांक 30.04.2021 से समाप्त की जाती हैं।


आज्ञा से

ह०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू।
9. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10. जिला कलक्टर, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम 03 अधिकतम संभवतः 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल मय बायोडाटा एवं घोषणा पत्र सहित श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू की अभिशंषा/परामर्श उपरान्त अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें साथ ही उक्त पद पर नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेश तक वर्तमान में कार्यरत किसी लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, चिड़ावा जिला झुंझुनू में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु निर्देशित करते हुये संबंधित न्यायालय एवं इस विभाग को अवगत करावें।
11. कोषाधिकारी, झुंझुनू।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


11/5/2021
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि